(6) (1)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

निगरानी प्रकरण क्रमांक- /2014 R 3880-I/14

श्रीमति चन्द्रकिरण पत्नि हरिनारायण पटैरिया
उम्र 56 वर्ष निवासी-शिवपुरी (कुण्डेश्वर) तहसील व
जिला-टीकमगढ़ म.प्र.

-...निगरानीकर्ता

बनाम

मध्य प्रदेश शासन द्वारा तहसीलदार महोदय,
तहसील-टीकमगढ़ जिला-टीकमगढ़ म.प्र.

...अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959

न्यायालय तहसीलदार टीकमगढ़ जिला-टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के प्रकरण क्रमांक-31/अ-68/2012-13 दिनांक 13-10-2014 एवं आर्डर शीट दिनांक 28-10-2014 से व्यथित होकर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया है।

महोदय,

निगरानीकर्ता की विनय सादर निम्न प्रकार है :-

{1} यह कि पटवारी हल्का शिवपुरी कुण्डेश्वर द्वारा प्रतिवेदन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार टीकमगढ़ द्वारा भूमि खसरा नं. 27/334 के रकबा 40X50=2000 वर्गफुट पर बिना जांच एवं अभिलेख रिकार्ड के अवलोकन के मनगढ़ंत तरीके से उक्त अतिक्रमण प्रकरण मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के अंतर्गत प्रकरण पंजीवद्ध कर भूमि के बाजार मूल्य का 20% अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुये वेदखल किया जाकर आया व्यय वसूलने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया, तथा दिनांक 28-10-2014 को उक्त प्रकरण की आर्डर शीट लेख की गयी, लेकिन कारण बताओ नोटिस में यह लेख नहीं किया गया कि अभिकथित अतिक्रमण की तारीख क्या है व कबसे अतिक्रमण किया गया, उक्त तथ्य का उल्लेख करना विधि अनुसार नोटिस में आज्ञापक है, तारीख का उल्लेख न होने से कारण बताओ नोटिस एवं आर्डरशीट दिनांक 28-10-2014 वेबुनियाद एवं शून्य है जो विधि अनुसार स्थिर रखने योग्य नहीं

क्रमांक 3645
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा
दिनांक ____ को प्राप्त
हुआ है।
क्लर्क 18.11.14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

चन्द्रकिरण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-3880/I/14 जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02/09/15	प्रकरण में आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक की उपस्थिति हेतु सूचना पत्र भेजे गये किन्तु बाद तामील वापिस प्राप्त नहीं। प्रकरण का अवलोकन किया गया जो अनावश्यक रूप से ग्राह्यता के स्तर पर लंबित है। निगरानी मेमो का अवलोकन करने से यह प्रकट हुआ है कि तहसीलदार के प्रकरण 31/अ-68/12-13 दिनांक-13.10.14 एवं आदेश पत्रिका दिनांक 28.10.14 के विरुद्ध प्रस्तुत की जाना कही गई है। प्रकरण के संलग्न आदेश पत्रिका दिनांक 28.10.14 का अवलोकन करने से पाया गया कि प्रकरण क्रमांक 31/अ-68/12-13 में जारी कारण बताओ नोटिस के द्वारा आवेदिका को शासकीय भूमि खसरा क्र 27/334 पर से अतिक्रमण हटायेजाने के संबंध में संहिता की धारा 248 के तहत बाजार मूल्य का 20% अर्थदण्ड के साथ अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के बाबत नोटिस का जवाब चाहा गया था, जिसका जवाब प्रस्तुत करने हेतु आवेदिका द्वारा अभि० के माध्यम से समय चाहा था जो 28.10.14 को दिया गया। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य नहीं है जिससे प्रकरण सुनवाई हेतु ग्राह्य किया जावे। प्रकरण में ग्राह्यता का पर्याप्त आधार न होने से प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। सदस्य	

[कृ. प. उ.